

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 14.09.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-04 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना धानेपुर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अनन्तराम पुत्र बिहारी मल्लाह नि० नई बस्ती परास पट्टी पुरवार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-146/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सुरेश वर्मा पुत्र स्व० शिवदास वर्मा निवासी मौहरिया गिर्द थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-718/21, 02. दहन कोरी पुत्र स्व० साधू नि० मौहरिया गिर्द थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-719/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 14.09.2021

विभिन्न जनपदों से चोरी की गयी कूटरचित नम्बर प्लेट लगी 11
मोटरसाईकिलों सहित 04 शातिर चोर गिरफ्तार, 01 अवैध तमंचा व 01
नाजायज चाकू भी बरामद:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों व शातिर वाहन चोरों के विरुद्ध अभियान चलाकर उनकी गिरफ्तारी कर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर पुलिस ने 04 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 11 चोरी की मोटरसाईकिल बरामद करने में सफलता हासिल की है।

थाना को0 नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान 04 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कूटरचित नम्बर प्लेट लगी 02 चोरी की मोटरसाईकिल बरामद की थी। जिनसे कड़ार्ड से पूछताछ करने पर उनकी निशानदेही पर चोरी की 09 अन्य मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया है। पूछताछ पर इन अभियुक्तों ने बरामद मोटरसाईकिलों के सम्बन्ध में बताया कि ये मोटरसाईकिल जनपद गोण्डा, बलरामपुर व जनपद अयोध्या से चोरी की गयी है। अभियुक्तों ने बताया कि इन मोटरसाईकिलों की नम्बर प्लेट बदलकर अलग-अलग स्थानों पर बेचकर आर्थिक लाभ कमाते हैं। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त राहुल तिवारी के कब्जे से 01 तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व अभियुक्त राजेश कुमार के कब्जे से 01 नाजायज चाकू भी बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. राहुल तिवारी पुत्र संगम लाल तिवारी नि0 भवानीपुर राजापुर परसौरा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. अनुराग शुक्ला पुत्र राधेश्याम शुक्ला नि0 मुडफोरवा भवानीपुर राजापुर परसौरा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
03. राजेश कुमार पुत्र दीनानाथ पासवान नि0 मेघवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
04. अमित रावत उर्फ गोलू पुत्र रामदेव नि0 कोटिया बनकसिया शिवरतन सिंह थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-722/21, धारा 411,419,420,467,468,471 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-723/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0-724/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 11 अदद चोरी की मोटरसाईकिल।
02. 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 01 कारतूस।
03. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 आशीष कुमार मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 14.09.2021

मारपीट करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना परसपुर पुलिस ने मारपीट करने के वांछित अभियुक्त आलोक कुमार उर्फ रिकू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 12.09.2021 को आपसी विवाद के चलते वादी अक्षय गुप्ता पुत्र रामदयाल गुप्ता नि० ग्राम पसका बाजार थाना परसपुर जनपद गोण्डा को गाली-गुप्ता देते हुए मारा-पीटा था।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. आलोक कुमार उर्फ रिकू सिंह पुत्र स्व० थानेदार नि० ग्राम पसका बाजार थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01.मु०अ०सं०-248/21, धारा- 323,324,504,506 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० रणजीत यादव मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 14.09.2021

थाना वजीरगंज ने मारपीट करने के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस ने मारपीट करने के 02 वांछित अभियुक्तों—
01. राममूरत, 02. राजेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने आपसी विवाद के चलते वादिनी तारा देवी व उसके पति बालकराम को गाली-गुप्ता देते हुए लाठी-डण्डो से मारा-पीटा था जिससे वादिनी के पति को गम्भीर चोटें आयी थी और वह मौके पर ही बेहोश हो गए थे। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना वजीरगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. राममूरत पुत्र ब्रम्हादीन नि० ग्राम मझगवां थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
02. राजेन्द्र पुत्र राममूरत नि० ग्राम मझगवां थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-294/21, धारा- 308,323,504 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० भानू प्रताप सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल जनपद गोण्डा
दिनांक 14.09.2021

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त रामचन्द्र को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रामचन्द्र पुत्र श्यामलाल नि० पूरे महोलिया थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—314/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता—

01. व०उ०नि० सुरेश कुमार वर्मा मय हमराह।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 14.09.2021

मारपीट करने के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० देहात पुलिस ने मारपीट करने के 02 वांछित अभियुक्तों—
01. चन्द्रभूषण द्विवेदी, 02. दिलीप द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने दिनांक 13.09.2021 को जमीनी विवाद के चलते वादी हरि नारायण दूबे व उसके परिजनों को गाली-गुप्ता देते हुए लाठी-डण्डों से मारा-पीटा था।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. चन्द्र भूषण द्विवेदी पुत्र भवानी प्रसाद नि० पण्डितपुरवा मौजा भगहर बुलन्द थाना को० देहात जनपद गोण्डा।
02. दिलीप कुमार पुत्र जटाशंकर द्विवेदी नि० पण्डितपुरवा मौजा भगहर बुलन्द थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—343/21, धारा— 143,327,323,504 भादवि थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० अमर सिंह मय टीम।